6/13

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

A2
7

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

Power to call for record and proceding and reference to state Government or Board.

प्रस्तुत रैफरेंस तहसीलदार, पदमपुर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ है, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है। स्टेट द्वारा प्रस्तुत पटवारी की रिपोर्ट, जमाबंदी, नामान्तरण, भू–प्रबन्धन विभाग की जमाबन्दी के अनुसार जोहड़ दर्ज है। इंतकाल अनुसार जोहड़ स्वीकृत हुआ है।

उक्त भूमि की किस्म जोहड पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी ओर आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी संस्था के पक्ष में किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रेफरेन्स किए जाने हेतु प्रकरण मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 21/4/14 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

6/13 अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
प्रकरण संख्या :–06/2013
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर ....प्रार्थी
बनाम

बलविन्द्रसिंह पुत्र श्री गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी श्रीनगर .... अप्रार्थी

रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82

उपस्थित:–

1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष की ओर से
2. श्री बलराम स्वामी एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 21/5/17

उपरोक्त प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर द्वारा रेफरैंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया गया कि चक 41 जी जी खसरा नम्बर 70 के 7.16 बीघा सिवाय चक जोहड व 72/4 मि. के 0.04 बीघा खाला में से मु0नं0 24 के किला नम्बर 5/1.00 बीघा कुल 1 बीघा भूमि बलविन्द्रसिंह पुत्र गुरदेवसिंह को उपखण्डाधिकारी श्री करणपुर द्वारा आवंटन आदेश पारित किया गया है। जो कानून सम्मत नहीं है। रकबा जोहड़ पायतन को होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में अप्रार्थी को आवंटन योग्य नहीं था। रैफरेन्सकर्ता भूमिधारक है जिसका हित राजकीय कृषि भूमि से जुड़ा हुआ है। अतः वह रैफरेन्स करने का कानूनी अधिकारी है। अतः रैफरेन्स स्वीकार करते हुए माननीय राजस्व मंडल, अजमेर को जेर रैफरेन्स आदेश 31.07.84 गैर कानूनी तथा अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया हुआ होने से निरस्त करने का आग्रह किया जावे।

रैफरेन्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री बलराम स्वामी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई राजकीय अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन है कि रैफरेन्सधीन रकबा जोहड़ पायतन का होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवंटन का अधिकार उपखण्ड एवं आवंटन अधिकारी श्रीकरणपुर को नहीं था। अतः जैर रैफरेन्स आदेश दिनांक 31.07.84 विधिसम्मत नहीं है। माननीय राजस्व न्यायालय में रैफरेन्स पेश किया जावे

इसके विरोध में लायक अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि आवंटन आदेश के पश्चात् संबंधित प्रकरण का विधिक परीक्षण होता है लेकिन इस संबंध में विधि शाखा द्वारा कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है, ना ही अपील की गई है अपील की मियाद निकल चुकी है प्रश्नगत आवंटन नियमानुसार किया गया है। रैफरेन्स खारिज करने के योग्य हैं। अप्रार्थी द्वारा भारी मेहनत व रूपये लगाकर भूमि का सुधार किया गया है व काबिल काश्त बनाया गया है। वर्तमान में जोहड़ पायतन की जरूरत नहीं रही है। अतः रैफरेन्स खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

जिला कलैक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर